न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 45 / 2022

1 रामस्वरूप पुत्र मंगला उम्र 85 वर्ष जाति रैगर निवासी 82 श्री कल्याण नगर करतारपुरा जयपुर।

2 रेवती रमण पुत्र महावीर।

3 विनोद कुमार पुत्र महावीर।

4 रतिकान्त पुत्र महावीर समस्त जाति रैगर निवासीगण पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल आबाद मोरिजा रोड़ चौमू जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रहलाद पुत्र नानगराम मीणा निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

2 गुलाब कंवर पत्नी दीपसिंह।

3 बन्नेसिंह पुत्र दीपसिंह।

4 राजेन्द्र पुत्र भंवरसिंह।

5 प्रेम सिंह पुत्र भंवरसिंह।

6 प्रमोद पुत्र मालसिंह।

7 रामचन्द्र पुत्र मालसिंह।

8 लक्ष्मण सिंह पुत्र मालसिंह।

9 नरसी सिंह पुत्र मालसिंह।

10 अशोक सिंह पुत्र मालसिंह।

11 अन्तर कंवर पुत्री मालसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 लादू पुत्र गोविन्द सिंह।
13 बीरबल पुत्र गोविन्द सिंह।
14 गेंद कंवर पत्नी गणेश सिंह।
15 भंवर कंवर पुत्री गणेश सिंह।
16 सायर कंवर पुत्री गणेश सिंह।
17 बिमला कंवर पत्नी भंवर सिंह।
18 सदा कंवर पुत्री गणेश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
19 कैलाश पुत्र प्रहलाद।
20 गुलझारी पुत्र प्रहलाद।
21 सुरज्ञान पुत्र प्रहलाद समस्त जाति राजनट निवासीगण पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.09.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर मुकदमा
नम्बर 463/2015 बउनवानी प्रहलादराम बनाम गुलबा कंवर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेश कुमार आर.ए.एस।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगनाथ प्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 6/1/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 463/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स की आराजी भूमि खसरा नम्बर 5241/894 रकबा 0.6160 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 887 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 889 रकबा 0.8600 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.8160 हैक्टेयर ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी भू–अभिलेख क्षेत्र भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें अपीलांट संख्या 1 का हिस्सा 1/2 व अपीलांट संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 है। उक्त आराजी को अपीलांट कदीम से ही शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमियों में किसी प्रकार का कोई कटानी रास्ता नहीं है। उसके सटती हुई भूमियां खसरा नम्बर 892 व 893 रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी की भूमियां है उक्त भूमियों रास्ता कटान हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आवेदन बाबत रास्ता कटवाने अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट्स की प्रोपर तामील नहीं करवाई गई तथा जाति भी रैगर की जगह रूप से राजनट अंकित कर उक्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर ही गलत रूप से उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 20.09.2021 को पारित किया गया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में संलग्न तामीली नोटिस में अपीलांट की जाति एवं पता दोनो ही गलत अंकित है। ऐसी स्थिति में तामील पर्याप्त एवं विधिवत नही मानी जा सकती है। खसरा नम्बर 855 व 897 तालाब की भूमियां है। विधि अनुसार ऐसी भूमियों में रास्ता नही दिया जा सकता है। धारा 251ए में लघुतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित रास्ता लघुतम नही है। आवेदनकर्ता के लघुतम रास्ता खसरा नम्बर 896 से लगता है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से दिया गया रास्ता किसी भी मुख्य सड़क तक नही लगता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तावित रास्ता उत्तर की तरफ बताया गया है। जबकि अमद दरामद दक्षिण की तरफ किया गया है। अपीलांट को सम्यक तामिल नही होने से विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। धारा 5 का आवेदन एवं अपील दोनों स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में फर्द के साथ नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 892,893,895,896 एवं नकल नक्शा खसरा नम्बर 892 से 896 प्रस्तुत की हैं।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। मियाद के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित पता एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तामील में अंकित पता एक ही है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार ने दिया गया रास्ता विधि सम्मत रूप से प्रस्तावित किया गया है। विचाराधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। अपीलांट द्वारा तामील के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत चाराजोही नही की गई है। तामीली नोटिस में जाति के गलत अंकन के लिये रेस्पोडेंट जिम्मेदार नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.जे. सिविल 2022 (2) (राजस्थान) पेज 1163 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय में संलग्न तामीली नोटिस में अपीलांट की जाति एवं पता दोनो ही गलत अंकित है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त एवं विधिवत तामील नही मानी जा सकती है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 894 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 893 आवेदक का है। खसरा नम्बर 894 अपीलांट का है खसरा नम्बर 897 गैर मुमकिन तालाब है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.09.2021 में बिन्दु संख्या (द) में अंकन किया गया है कि खसर नम्बर 897 किस्म गैर मुमकिन तालाब में मौके पर आने जाने का रास्ता मौजुद है परन्तु किस्म गैर मुमकिन तालाब टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। वर वक्त बहस अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 893,896,897,894 के राजस्व नक्शे का अवलोकन किया गया। इस नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 893 के खातेदार को खसरा नम्बर 897 गैर मुमकिन तालाब तक रास्ता दिये जाने के दो विकल्प है। एक रास्ता खसरा नम्बर 894 अपीलांट की भूमि में से जो प्रस्तावित किया गया है, दुसरा खसरा नम्बर 896 में से सीधा रास्ता खसरा नम्बर 897 में मिलाया जा सकता है। नक्शे के अवलोकन से यह भली भांति स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 893 से खसरा नम्बर 897 के मध्य खसरा नम्बर 896 में से रास्ता दिये जाने का सबसे निकटतम एवं सुगम रास्ता है। विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता ने खसरा नम्बर 896 में से न तो रास्ता मांगा है, न ही खसरा नम्बर 896 के खातेदार को पक्षकार संयोजित किया है, न ही तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 896 के सन्दर्भ में कोई रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंकित की है। विचारण न्यायालय ने भी राजस्व नक्शा शीट का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में जब राजस्व नक्शा शीट के प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से यह प्रकट हो रहा है कि खसरा नम्बर 893 के लिये खसरा नम्बर 897 तक रास्ते के लिये निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 896 में से दिया जा सकता है तो विचारण न्यायालय ने अधिक दूरी का घूमावदार रास्ता खसरा नम्बर 894 में से देने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहा यह भी विचारणीय है कि आवेदनकर्ता के पास रास्ता उपलब्ध नही है तथा धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आवेदनकर्ता निकटतम दूरी का रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता का आवेदन भी विधि अनुसार खारिज नही किया जा सकता है। अत प्रकरण विचारण न्यायालय को निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने के निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 896 के खातेदार को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6-11-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर